समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2025}

समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 (अधिनियम संख्या–03 वर्ष, 2024) में संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

संहिता का संशोधन 2. समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 (जिसे यहाँ आगे मूल संहिता कहा गया है) में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1974) शब्द, अंक, चिन्ह एवं कोष्ठक के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वह आते है 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 46, वर्ष 2023)' शब्द, अंक, चिन्ह् एवं कोष्ठक रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन 3. मूल संहिता की धारा 7 में, उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन 4. मूल संहिता में, धारा 10 में,–

(i) उपधारा (2) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे;

(ii) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन 5. मूल संहिता में, धारा 11 में,–

(i) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे;

(ii) उपधारा (4) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

6. मूल संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) में, 'सचिव' शब्द के स्थान पर "अपर सचिव" शब्द रख दिये जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन

7. मूल संहिता की धारा 17 की उपधारा (2) में, "तीन माह तक के कारावास या पच्चीस हजार रूपये तक की शास्ति या दोनों के दण्ड का अधिकारी होगा" शब्दों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 45, वर्ष 2023) के अनुसार दण्ड का अधिकारी होगा" शब्द, संख्या, चिन्ह, और कोष्ठक रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

8. मूल संहिता की धारा 19 में, शीर्षक में 'दण्ड' शब्द के स्थान पर 'शास्ति' शब्द रख दिया जायेगा।

नवीन धारा 19क का अन्तःस्थापन

9. मूल संहिता की धारा 19 के पश्चात् नवीन धारा 19क. के रूप में निम्नवत् अंतस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"19क. उप–निबंधक पर शास्ति अधिरोपण के विरूद्ध अपील–

(1) जहां धारा 19 के अंतर्गत उप–निबंधक पर शास्ति अधिरोपित किया गया हो, वहाँ वह तीस दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई अपील, शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, विहित रूप में प्रक्रिया में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश की पुष्टि, उपान्तरण या निरसन कर सकेगा।"।

धारा 24 का संशोधन

10. मूल संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) में,–

(i) खण्ड (घ) में "।" चिन्ह् के स्थान पर "; या" शब्द और चिन्ह् रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् एक नया खण्ड (ङ) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(ङ) कि विवाह के समय विवाह के किसी एक पक्षकार ने अपनी पहचान के विषय में मिथ्या प्रस्तुतिकरण किया हो।"।

धारा 25 का संशोधन

11. मूल संहिता की धारा 25 की उपधारा (3) के खण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(i) पति ने, विवाह के संपादन/अनुबंध के पश्चात् बलात्कार, पृष्ठमैथुन, पाशविकता अथवा शव मैथुन में लिप्त होकर ऐसा कृत्य किया हो।"।

धारा 26 का संशोधन

12. मुख्य संहिता की धारा 26 में 'उपधारा (2) के खंड (i) और (ii)' के पश्चात् 'तथा उपधारा (3) के खंड (i) और (ii)' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिन्ह् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

13. मूल संहिता की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के पश्चात खण्ड (iv), (v), (vi) एवं (vii) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(iv) धारा 4 के खंड (iii) का उल्लंघन कर विवाह करता है, तो उसका यह कृत्य 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 6, वर्ष 2007)' के अंतर्गत दण्डनीय होगा;

(v) जिसका पति या पत्नी जीवित है, संहिता के प्रवर्तन के पश्चात धारा 4 के खंड (i) का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य से विवाह करता है, तो वह 'भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 2023)' के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा;

(vi) बल, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से किसी अन्य से विवाह के लिए सहमति प्राप्त करता है, वह सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दण्ड का भागी होगा;

(vii) विवाह के लिए अपनी पहचान, वैवाहिक स्थिति को छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका यह कृत्य 'भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 2023)' के अंतर्गत दण्डनीय होगा।"।

धारा 43 का संशोधन

14. मूल संहिता की धारा 43 में उपधारा (1) में, खंड (ग) के अंत में, "न्यायालय तद्नुसार ऐसे अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करेगा" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अनुसार ऐसी राहत प्रदान करेगा" शब्द और कोष्ठक रख दिये जायेंगे।

धारा 384 का संशोधन 15. मूल संहिता की धारा 384 में अंतिम वाक्य के पश्चात् निम्नवत् वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

"ऐसे मामलों में, निबंधक दोनों साथियों को, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, सह–वास संबंध समाप्त होने का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।"।

धारा 385 का संशोधन 16. मूल संहिता की धारा 385 में,–

(i) उपधारा (1) में, "ऐसे सहवासी" शब्दों के स्थान पर "उन सहवासियों" शब्द रख दिये जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा;

(iii) उपधारा (3) में, "ऐसे सहवासी" शब्दों के स्थान पर "उन सहवासियों" शब्द रख दिये जाएंगे।

धारा 387 का संशोधन 17. मूल संहिता की धारा 387 में, उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4), (5), (6), एवं उपधारा (7) निम्नवत् जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्–

"(4) यदि कोई व्यक्ति बल, दबाव या धोखाधड़ी द्वारा किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर सह–वास संबंध स्थापित करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

(5) जो कोई भी धारा 380(2) के उल्लंघन में सह–वास में रहता है, उसे सात वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जायेगा तथा जुर्माना का भी भागी होगा:

परन्तु यह प्रविधान ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसने सह–वास संबंध को समाप्त कर दिया हो अथवा जिसके साथी का सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से कोई पता न हो।

(6) जो कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती विवाह को विधिवत समाप्त किए बिना तथा उससे उत्पन्न होने वाली सभी विधिक कार्यवाही, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप से निष्पादित किए बिना सह–वास (लिव–इन रिलेशनशिप) संबंध में रहता है, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अधीन दंडित किया जायेगा:

परन्तु यदि पूर्ववर्ती सह–वास संबंध का साथी सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित या लापता हो, तो ऐसे व्यक्ति को नया सह–वास संबंध पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(7) जो कोई व्यक्ति धारा 380 की उपधारा (3) के उल्लंघन में सह–वास संबंध में रहता है, वह छः मास तक के साधारण कारावास और पचास हजार तक का जुर्माना और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, जो एक मास तक विस्तारित किया जा सकता है, दण्ड का भागी होगा।"।

नवीन धारा 390क एवं 390ख का अन्तःस्थापन

18. मूल संहिता की धारा 390 के पश्चात् नई धारा 390क एवं 390ख निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"390क. पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति–

विवाह, तलाक, सह–वास अथवा उत्तराधिकार से संबंधित किसी पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति धारा 12 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार जनरल को होगी।"

"390ख. शास्ति की वसूली–

इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत लगाया गया कोई भी शास्ति, भू–राजस्व के बकाये की भांति अथवा इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाएगा।"।

निरसन और व्यावृत्ति

19. (1) समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश संख्या–03 वर्ष, 2025) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 (अधिनियम सं. 03, वर्ष 2024) के प्रवर्तन के पश्चात् इसके क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभवों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों तथा विधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन आवश्यक पाया गया है।

इस संशोधन विधेयक द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित हैं:–

- कुछ प्रक्रियात्मक उपबंधों में समय–सीमा को छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष करना।
- विवाह पंजीकरण, तलाक, सह–वास (लिव–इन रिलेशनशिप) एवं उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनाना, साथ ही मिथ्या प्रस्तुतिकरण, गंभीर अपराध छिपाने, बल, दबाव या धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने जैसे कृत्यों को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध के रूप में शामिल करना।
- मौजूदा दंड प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुरूप अद्यतन करना।
- उप–निबंधकों पर दंड आदेश के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया का प्रावधान करना।
- सह–वास संबंध समाप्त होने पर प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान करना तथा निरंतर उल्लंघन की दशा में कठोर दंड का प्रावधान करना।
- दंड की वसूली की विधि का स्पष्ट प्रावधान करना।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को निरसित करना।

इन संशोधनों का उद्देश्य संहिता को अधिक व्यवहारिक, न्यायसंगत और प्रभावी बनाना है, ताकि समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए विधिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

2– प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है, तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

विधायी ज्ञापन

1– प्रस्तावित विधेयक द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

02– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्निहित नही है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में संहिता का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में धारा 7 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 4 में धारा 10 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड 5 में धारा 11 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड 6 में धारा 12 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
7. विधेयक के खण्ड 7 में धारा 17 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड 8 में धारा 19 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड 9 में नवीन धारा 19क का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।
10. विधेयक के खण्ड 10 में धारा 24 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
11. विधेयक के खण्ड 11 में धारा 25 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
12. विधेयक के खण्ड 12 में धारा 26 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
13. विधेयक के खण्ड 13 में धारा 32 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
14. विधेयक के खण्ड 14 में धारा 43 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
15. विधेयक के खण्ड 15 में धारा 384 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
16. विधेयक के खण्ड 16 में धारा 385 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
17. विधेयक के खण्ड 17 में धारा 387 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
18. विधेयक के खण्ड 18 में नवीन धारा 390क एवं 390ख का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।
19. विधेयक के खण्ड 19 में निरसन एवं व्यावृत्ति का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

रूप भेद ज्ञापन

अध्यादेश के प्राविधान			अध्यादेश के अतिरिक्त प्रस्तावित विधेयक के प्राविधान		
समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025			समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) विधेयक, 2025		
(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या : 03 वर्ष 2025)			(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या : वर्ष 2025)		
भारत गणराज्य के छियत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 (अधिनियम संख्या–03 वर्ष, 2024) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए, **अध्यादेश**			समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 (अधिनियम संख्या–03 वर्ष, 2024) में संशोधन करने के लिए, **विधेयक** भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–		
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।	**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**	1.	(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) संहिता, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
–	2.	–	**संहिता का संशोधन**	2.	समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 (जिसे यहाँ आगे मूल संहिता कहा गया है) में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम सं. वर्ष 1973) शब्द, अंक, चिन्ह एवं कोष्ठक के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वह आते है 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 46, वर्ष 2023)' शब्द, अंक, चिन्ह एवं कोष्ठक रख दिये जायेंगे।
धारा 7 का संशोधन	3.	समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 (जिसे यहाँ आगे मूल संहिता कहा गया है) की धारा 7 में, उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।	**धारा 7 का संशोधन**	3.	मूल संहिता की धारा 7 में, उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।
धारा 10 का संशोधन	4.	मूल संहिता में, धारा 10 में,– (i) उपधारा (2) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे; (ii) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।	**धारा 10 का संशोधन**	4.	मूल संहिता में, धारा 10 में,– (i) उपधारा (2) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे; (ii) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन	5.	मूल संहिता में, धारा 11 में,– (i) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे; (ii) उपधारा (4) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।	धारा 11 का संशोधन	5.	मूल संहिता में, धारा 11 में,– (i) उपधारा (3) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे; (ii) उपधारा (4) में, 'छह माह' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रख दिये जायेंगे।
–	–	–	धारा 12 का संशोधन	6.	मूल संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) में, 'सचिव' शब्द के स्थान पर ''अपर सचिव'' शब्द रख दिये जाएंगे।
–	–	–	धारा 17 का संशोधन	7.	मूल संहिता की धारा 17 की उपधारा (2) में, ''तीन माह तक के कारावास या पच्चीस हजार रूपये तक की शास्ति या दोनों के दण्ड का अधिकारी होगा'' शब्दों के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम सं. 45, वर्ष 2023) के अनुसार दण्ड का अधिकारी होगा।" शब्द, संख्या, चिन्ह्, और कोष्ठक रख दिये जायेंगे।
–	–	–	धारा 19 का संशोधन	8.	मूल संहिता की धारा 19 में, शीर्षक में 'दण्ड' शब्द के स्थान पर 'शास्ति' शब्द रख दिया जायेगा।
–	–	–	नवीन धारा 19क का अन्तःस्थापन	9.	मूल संहिता की धारा 19 के पश्चात् नवीन धारा 19क. के रूप में निम्नवत् अंतस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्– **''19क. उप–निबंधक पर शास्ति अधिरोपण के विरूद्ध अपील–** (1) जहां धारा 19 के अंतर्गत उप–निबंधक पर शास्ति अधिरोपित किया गया हो, वहाँ वह तीस दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई अपील, शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, विहित रूप में प्रक्रिया में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। (3) अपीलीय प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश की पुष्टि, उपान्तरण या निरसन कर सकेगा।''।

–	–	–	धारा 24 का संशोधन	10.	मूल संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) में,– (i) खण्ड (घ) में "।" चिन्ह् के स्थान पर "; या" शब्द और चिन्ह् रख दिये जायेंगे; (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् एक नया खण्ड (ङ) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्– "(ङ) कि विवाह के समय विवाह के किसी एक पक्षकार ने अपनी पहचान के विषय में मिथ्या प्रस्तुतिकरण किया हो।"।
–	–	–	धारा 25 का संशोधन	11.	मूल संहिता की धारा 25 की उपधारा (3) के खण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– "(i) पति ने, विवाह के संपादन/अनुबंध के पश्चात् बलात्कार, पृष्ठमैथुन, पाशविकता अथवा शव मैथुन में लिप्त होकर ऐसा कृत्य किया हो।"
–	–	–	धारा 26 का संशोधन	12.	मुख्य संहिता की धारा 26 में 'उपधारा (2) के खंड (i) और (ii)' के पश्चात् 'तथा उपधारा (3) के खंड (i) और (ii)' शब्द, अंक, कोष्ठक और चिन्ह् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।
–	–	–	धारा 32 का संशोधन	13.	मूल संहिता की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के पश्चात खण्ड (iv), (v), (vi) एवं (vii) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्– "(iv) धारा 4 के खंड (iii) का उल्लंघन कर विवाह करता है, तो उसका यह कृत्य 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 6, वर्ष 2007)' के अंतर्गत दण्डनीय होगा; (v) जिसका पति या पत्नी जीवित है, संहिता के प्रवर्तन के पश्चात धारा 4 के खंड (i) का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य से विवाह करता है, तो वह 'भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 2023)' के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा; (vi) बल, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से किसी अन्य से विवाह के लिए सहमति प्राप्त करता है, वह सात

					वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के दण्ड का भागी होगा; (vii) विवाह के लिए अपनी पहचान, वैवाहिक स्थिति को छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका यह कृत्य 'भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, वर्ष 2023)' के अंतर्गत दण्डनीय होगा।''
–	–	–	धारा 43 का संशोधन	14.	मूल संहिता की धारा 43 में उपधारा (1) में, खंड (ग) के अंत में, ''न्यायालय तद्नुसार ऐसे अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करेगा'' शब्दों के स्थान पर ''न्यायालय खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अनुसार ऐसी राहत प्रदान करेगा'' शब्द और कोष्ठक रख दिये जायेंगे।
–	–	–	धारा 384 का संशोधन	15.	मूल संहिता की धारा 384 में अंतिम वाक्य के पश्चात् निम्नवत् वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्– ''ऐसे मामलों में, निबंधक दोनों साथियों को, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, सह–वास संबंध समाप्त होने का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।''
–	–	–	धारा 385 का संशोधन	16.	मूल संहिता की धारा 385 में,– (i) उपधारा (1) में, ''ऐसे सहवासी'' शब्दों के स्थान पर ''उन सहवासियों'' शब्द रख दिये जाएंगे; (ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जायेगा; (iii) उपधारा (3) में, ''ऐसे सहवासी'' शब्दों के स्थान पर ''उन सहवासियों'' शब्द रख दिये जाएंगे।
–	–	–	धारा 387 का संशोधन	17.	मूल संहिता की धारा 387 में, उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4), (5), (6), एवं उपधारा (7) निम्नवत् जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्– ''(4) यदि कोई व्यक्ति बल, दबाव या धोखाधड़ी द्वारा किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर सह–वास संबंध स्थापित करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा। (5) जो कोई भी धारा 380(2) के उल्लंघन में सह–वास में रहता है,

					उसे सात वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जायेगा तथा जुर्माना का भी भागी होगाः परन्तु यह प्रविधान ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसने सह–वास संबंध को समाप्त कर दिया हो अथवा जिसके साथी का सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से कोई पता न हो। (6) जो कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती विवाह को विधिवत समाप्त किए बिना तथा उससे उत्पन्न होने वाली सभी विधिक कार्यवाही, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप से निष्पादित किए बिना सह–वास (लिव–इन रिलेशनशिप) संबंध में रहता है, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अधीन दंडित किया जायेगा: परन्तु यदि पूर्ववर्ती सह–वास संबंध का साथी सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से अनुपस्थित या लापता हो, तो ऐसे व्यक्ति को नया सह–वास संबंध पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकेगी। (7) जो कोई व्यक्ति धारा 380 की उपधारा (3) के उल्लंघन में सह–वास संबंध में रहता है, वह छः मास तक के साधारण कारावास और पचास हजार तक का जुर्माना और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, जो एक मास तक विस्तारित किया जा सकता है, दण्ड का भागी होगा।"
–	–	–	नवीन धारा 390क एवं 390ख का अन्तःस्थापन	18.	मूल संहिता की धारा 390 के पश्चात् नई धारा 390क एवं 390ख निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– **"390क.पंजीकरण निरस्त करने की शक्ति–** विवाह, तलाक, सह–वास अथवा उत्तराधिकार से संबंधित किसी पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति धारा 12 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार जनरल को होगी।" **"390ख.शास्ति की वसूली–** इस संहिता के उपबंधों के अंतर्गत लगाया गया कोई भी शास्ति,

					भू–राजस्व के बकाये की भांति अथवा इस संहिता के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाएगा।"
–	–	–	निरसन और व्यावृत्ति	19.	(1) समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश संख्या–03 वर्ष, 2025) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।

पुष्कर सिंह धामी
मा0 मुख्यमंत्री

The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Bill, 2025

(Uttarakhand Bill No._____Year 2025)

A

Bill

to amend the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (Act No. 03 of 2024),

Be it enacted by the Legislature of the State of Uttarakhand in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in Code

2. In the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (hereinafter referred to as the principal Code) for the words, figures, signs and brackets "Criminal Procedure Code , 1973 (Act No 2. year 1974)", wherever they occurs, the words, figures, signs and brackets "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be substituted.

Amendment of section 7

3. In section 7 of the principal Code, in the second proviso to the sub-section (1), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.

Amendment of section 10

4. In the principal Code, in section 10,-

(i) in sub-section (2), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.

Amendment of section 11

5. In the principal Code, in section 11,-

(i) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted;

(ii) in sub-section (4), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.

Amendment of section 12

6. In sub-section (1) of section 12 of the principal Code, for the word "Secretary", the words "Additional Secretary" shall be substituted.

Amendment of section 17

7. In sub-section (2) of section 17 of the principal Code, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees, or with both", the words, figures, signs and brackets "shall be punishable according to the provisions contained in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be substituted.

Amendment of section 19

8. In section 19 of the principal Code, in the heading, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.

Insertion of new section 19 A

9. After Section 19 of the principal Code, a new section 19A shall be inserted as follows, namely—

"19A. Appeal against penalty imposed on Sub-Registrar-

(1) Where a penalty has been imposed on a Sub-Registrar under Section 19, he may prefer an appeal within thirty days before the competent appellate authority as notified by the State Government.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be presented in the prescribed form and manner along with a certified copy of the order of penalty, as determined by the State Government.

(3) The appellate authority may, as it deems necessary, confirm, modify, or annul such order.".

Amendment of section 24

10. In sub-section (1) of section 24 of the principal Code,-

(i) in clause (d) for the sign "." , the "; or" sign and word shall be substituted;

(ii) after clause (d), a new clause (e) shall be inserted as follows, namely:-

"(e) that at the time of the marriage one of the parties to the marriage had misrepresented her/his identity.".

Amendment of section 25

11. In section 25 of principal Code, clause (i) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely-

"(i) the husband has, since the solemnization/

contracting of the marriage, indulged in rape, anal sex, bestiality or necrophiliac sexual intercourse.".

Amendment of section 26

12. In section 26 of the principal Code after "clauses (i) and (ii) of sub-section (2)", the words figures, signs and brackets "and clauses (i) and (ii) of sub-section (3)" shall be inserted.

Amendment of section 32

13. In section 32 of the principal code after clause (iii) new clauses (iv), (v), (vi) and (vii) shall be inserted as follows, namely-

"(iv) contracts a marriage in violation of clause (iii) of section 4, such act shall be punishable under the *Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007)*;

(v) having a husband or wife living, marries another person after the commencement of the Code and in contravention of clause (i) of section 4, shall be punishable under the The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023);

(vi) obtains the consent of a person for Marriage by force, coercion or fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine;

(vii) procured the consent for marriage through misrepresentation or concealment of facts then such act shall be punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023).".

Amendment of section 43

14. In section 43 of the principal code in sub-section (1) , in clause (c), for the words "the court shall decree such relief accordingly", the words and brackets "the court shall grant such relief in accordance with clauses (a), (b) and (c)" shall be substituted.

Amendment of section 384

15. In principal code after last sentence of section 384, the following sentence shall be added, namely-

"In such a cases, the registrar shall issue a certificate regarding termination of the live-in relationship, in a prescribed format to both the partners.".

Amendment of section 385

16. In section 385 of the principal code.-
(i) in sub-section (1), for the words "such partner(s)",

the words "those partner(s)" shall be substituted;

(ii) sub-section (2) has been omitted;

(iii) in sub-section (3), for the words "such partner(s)", the words "those partner(s)" shall be substituted.

Amendment of section 387

17. In section 387 of the principal Code, after sub-section (3), sub-sections (4), (5), (6) and sub-section (7) shall be added, namely-

"**(4)** Whoever obtains the consent of any person by force, coercion or fraud to establish a live-in relationship shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

(5) Whoever stays in a live-in relationship in persistent contravention of sub-section (2) of section 380 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable for fine:

Provided that, nothing in this sub-section shall apply to a person who has terminated the live-in relationship or whose partner has not been heard of for a period of seven years or more.

(6) Whoever stays in a live-in relationship without duly terminating the previous marriage and concluding all legal proceedings, if any, arising therefrom, shall be punishable as per section 82 of the Bharatiya Nyaya Sanhita:

Provided that, where the partner of the previous live-in relationship has been absent or missing for a period of seven years or more, such person shall be permitted to register a new live-in relationship.

(7) Whoever lives in a live-in relationship in contravention of sub-section (3) of Section 380 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to fifty thousand rupees; and in default of

payment of such fine, with further imprisonment which may extend.".

Insertion of new sections 390A and 390B

18. In principal code after section 390 new sections 390A and 390B shall be inserted as follows, namely:—

"390A. Power to cancel registration-

The power to cancel any registration relating to marriage, divorce, live-in relationship or succession shall lie with the Registrar General appointed under Section 12."

"390B. Recovery of penalty-

Any penalty imposed under the provisions of this Code shall be recovered like arrears of land revenue or in such manner as may be specified by rules made under this Code."."

Repeal and savings

19. (1) The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Code.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After the enforcement of the Uttarakhand Uniform Civil Code, 2024 (Act No. 03 of 2024), it was found necessary to amend certain provisions of the Code in light of the experience gained during its implementation, suggestions received from various stakeholders, and emerging legal requirements.

The present Amendment Bill primarily seeks to-

- Extend certain procedural timelines from six months to one year.
- Make provisions relating to marriage registration, divorce, live-in relationships, and succession more clear and effective, and to specifically include acts such as misrepresentation, concealment of serious criminal convictions, and obtaining consent for marriage through force, coercion or fraud, as punishable offences.
- Align the existing penal provisions with the "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" and the "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023".
- Provide a procedure for appeal against penalty orders imposed on Sub-Registrars.
- Provide for issuance of a certificate upon termination of a live-in relationship and to prescribe stricter penalties in cases of continuous violation.
- Clearly lay down the method of recovery of penalties.
- Repeal the Uttarakhand Uniform Civil Code (Amendment) Ordinance, 2025.
- The objective of these amendments is to make the Code more practical, equitable, and effective, thereby ensuring the protection of the interests of all sections of society while facilitating the smooth functioning of legal processes.

2- The proposed Bill is the replacing Bill of said ordinance and fulfills the aforesaid objectives.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

LEGISLATIVE MEMORANDUM

1. The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Bill, 2025 is to be enacted by the proposed Bill.

2. The proposed Bill only involves the general delegation of legislative powers.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

FINANCIAL MEMORANDUM

1. The proposed Bill seeks to enact the Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Bill 2025.

2. The proposed Bill does not contain the recurring or non-recurring expenditure from consolidated fund of State.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

CLAUSE-WISE MEMORANDUM

The proposed Bill seeks to enact the Uttarakhand Uniform Civil Code (Amendment) Bill, 2025.

1. It is proposed to provide for the short title and commencement of the in Clause 1 of the Bill.
2. In Clause 2 of the Bill proposed to amend the Code.
3. In Clause 3 of the Bill proposed to amend the Section 7 of the Code.
4. In Clause 4 of the Bill proposed to amend the Section 10 of the Code.
5. In Clause 5 of the Bill proposed to amend the Section 11 of the Code.
6. In Clause 6 of the Bill proposed to amend the Section 12 of the Code.
7. In Clause 7 of the Bill proposed to amend the Section 17 of the Code.
8. In Clause 8 of the Bill proposed to amend the Section 19 of the Code.
9. In Clause 9 of the Bill proposed to insert the new Section 19A in the Code.
10. In Clause 10 of the Bill proposed to amend the Section 24 of the Code.
11. In Clause 11 of the Bill proposed to amend the Section 25 of the Code.
12. In Clause 12 of the Bill proposed to amend the Section 26 of the Code.
13. In Clause 13 of the Bill proposed to amend the Section 32 of the Code.
14. In Clause 14 of the Bill proposed to amend the Section 43 of the Code.
15. In Clause 15 of the Bill proposed to amend the Section 384 of the Code.
16. In Clause 16 of the Bill proposed to amend the Section 385 of the Code.
17. In Clause 17 of the Bill proposed to amend the Section 387 of the Code.
18. In Clause 18 of the Bill proposed to insert the new Section 390A and 390B in the Code.
19. In Clause 19 of the Bill provisions of repeal and savings are proposed.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

Memorandum of Difference

Provisions of the Ordinance			Provisions of the proposed bill in addition to the ordinance		
The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Ordinance, 2025			**The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Bill, 2025**		
(Uttarakhand Ordinance No. 03 Year 2025)			**(Uttarakhand Bill No.____Year 2025)**		
Promulgated by the Govenor in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India Further to amend the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (Act No. 03 of 2024), **Ordinance**			to amend the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (Act No. 03 of 2024), **A** **Bill** Be it enacted by the Legislature of the State of Uttarakhand in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:		
Short title and commencement	**1**	(1) This Ordinance may be called the Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Ordinance, 2025. (2) It shall come into force at once.	**Short title and commencement**	**1-**	(1). This code may be called the Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) code, 2025. (2) It shall come into force at once.
—	**2.**	—	**Amendment in Code**	**2-**	In the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (hereinafter referred to as the principal Code) for the words, figures, signs and brackets "Criminal Procedure Code , 1973 (Act No 2. year 1973)", wherever they occurs, the words, figures, signs and brackets "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023)" shall be substituted.
Amendment of section 7	**3-**	In section 7 of the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (hereinafter referred to as the principal Code), in the second proviso to the sub-section (1), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted	**Amendment of section 7**	**3-**	In section 7 of the principal Code, in the second proviso to the sub-section (1), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.
Amendment of section 10	**4-**	In the principal Code, in section 10,- (i) in sub-section (2),	**Amendment of section 10**	**4-**	In the principal Code, in section 10,- (i) in sub-section (2), for the words 'six months', the

		for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted; (ii) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.			words 'one year' shall be substituted; (ii) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.
Amendment of section 11	**5-**	In the principal Code, in section 11,- (i) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.	**Amendment of section 11**	**5-**	In the principal Code, in section 11,- (i) in sub-section (3), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the words 'six months', the words 'one year' shall be substituted.
—	—	—	**Amendment of section 12**	**6-**	In sub-section (1) of section 12 of the principal Code, for the word "Secretary", the words "Additional Secretary" shall be substituted.
—	—	—	**Amendment of section 17**	**7-**	In sub-section (2) of section 17 of the principal Code, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees, or with both", the words, figures, signs and brackets "shall be punishable according to the provisions contained in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023)" shall be substituted.
—	—	—	**Amendment of section 19**	**8-**	In section 19 of the principal Code, in the heading, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.
—	—	—	**Insertion of new section 19 A**	**9-**	After Section 19 of the principal Code, a new section 19A shall be inserted as follows, namely— **"19A. Appeal against**

					penalty imposed on Sub-Registrar- (1) Where a penalty has been imposed on a Sub-Registrar under Section 19, he may prefer an appeal within thirty days before the competent appellate authority as notified by the State Government. (2) An appeal under sub-section (1) shall be presented in the prescribed form and manner along with a certified copy of the order of punishment, as determined by the State Government. (3) The appellate authority may, as it deems necessary, confirm, modify, or annul such order.
—	—	—	**Amendment of section 24**	**10-**	In sub-section (1) of section 24 of the principal Code,- (i) in clause (d) for the sign "." , the "; or" sign and word shall be substituted; (ii) after clause (d), a new clause (e) shall be inserted as follows, namely:- "(e) that at the time of the marriage one of the parties to the marriage had misrepresented her/his identity.".
—	—	—	**Amendment of section 25**	**11-**	In section 25 of principal Code, clause (i) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely- "(i) the husband has, since the solemnization/ contracting of the marriage, indulged in rape or bestiality or necrophiliac sexual intercourse.".
—	—	—	**Amendment of section 26**	**12-**	In section 26 of the principal Code after "clauses (i) and (ii) of sub-section (2)",

					the words figures, signs and brackets "and clauses (i) and (ii) of sub-section (3)" shall be inserted.
—	—	—	**Amendment of section 32**	**13-**	In section 32 of the principal code after clause (iii) new clauses (iv), (v), (vi) and (vii) shall be inserted as follows, namely- "(iv) contracts a marriage in violation of clause (iii) of section 4, such act shall be punishable under the *Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007)*; (v) having a husband or wife living, marries another person after the commencement of the Code and in contravention of clause (i) of section 4, shall be punishable under the The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023); (vi) obtains the consent of a person for Marriage by force, coercion or fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine; (vii) procured the consent for marriage through misrepresentation or concealment of facts then such act shall be punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023).".
—	—	—	**Amendment of section 43**	**14-**	In section 43 of the principal code in sub-section (1) , in clause (c), for the words "the court shall decree such relief accordingly", the words

					and brackets "the court shall grant such relief in accordance with clauses (a), (b) and (c)" shall be substituted.
–	–	–	**Amendment of section 384**	**15-**	In principal code after last sentence of section 384, the following sentence shall be added, namely- "In such a cases, the registrar shall issue a certificate regarding termination of the live-in relationship, in a prescribed format to both the partners.".
–	–	–	**Amendment of section 385**	**16-**	In section 385 of the principal code.- (i) in sub-section (1), for the words "such partner(s)", the words "those partner(s)" shall be substituted; (ii) sub-section (2) has been omitted; (iii) in sub-section (3), for the words "such partner(s)", the words "those partner(s)" shall be substituted.
–	–	–	**Amendment of section 387**	**17-**	In section 387 of the principal Code, after sub-section (3), sub-sections (4), (5), (6) and sub-section (7) shall be added, namely- **"(4)** Whoever obtains the consent of any person by force, coercion or fraud to establish a live-in relationship shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine. **(5)** Whoever stays in a live-in relationship in persistent contravention of sub-section (2) of section 380 shall be punishable with

					imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable for fine: Provided that, nothing in this sub-section shall apply to a person who has terminated the live-in relationship or whose partner has not been heard of for a period of seven years or more. **(6)** Whoever stays in a live-in relationship without duly terminating the previous marriage and concluding all legal proceedings, if any, arising therefrom, shall be punishable as per section 82 of the Bharatiya Nyaya Sanhita: Provided that, where the partner of the previous live-in relationship has been absent or missing for a period of seven years or more, such person shall be permitted to register a new live-in relationship. (7) Whoever lives in a live-in relationship in contravention of sub-section (3) of Section 380 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine which may extend to fifty thousand rupees; and in default of payment of such fine, with further imprisonment which may extend.".
—	—	—	**Insertion of new sections 390A and 390B**	**18-**	In principal code after section 390 new sections 390A and 390B shall be inserted as follows, namely:— **"390A. Power to cancel registration-**

					The power to cancel any registration relating to marriage, divorce, live-in relationship or succession shall lie with the Registrar General appointed under Section 12. **390B. Recovery of penalty-** Any penalty imposed under the provisions of this Code shall be recovered like arrears of land revenue or in such manner as may be specified by rules made under this Code."."
—	—	—	**Repeal and savings**	**19-**	(1) The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Code.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister